न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 54/2011
अपीलांट

घीसालाल पुत्र श्री भोमा जाति मेहरात, निवासी धोलादाता बाडिया ग्राम चिताड, तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. जफरू पुत्र जोरा
2. आदम पुत्र जोरा जाति मेहरात निवासी धोलादाता बाडिया ग्राम चिताड तहसील रायपुर।
3. अमी के कायम मुकाम
   3/1 श्रीमती जनता पत्नी अमी जाति मेरात
   3/2 सुरमा पुत्री अमी पत्नी साजन जातिगण मेरात निवासीगण चिताड हाल निवासी ईटो का भटा, रातीडांग अजमेर जिला अजमेर।
4. तहसीलदार रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03/1, 03/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी रोहट रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03/1, 03/2 के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा नंबर 2876, 2878, 2880, 2881, 2885, 2888, 2891, 2895, 2900, 2903 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा 9 बिस्वानी के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का स्वंय का 2/3 हिस्सा है। इसके अतिरिक्त शेष 1/3 हिस्सा में अपीलांट का 1/3 हिस्सा है। इस संबध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दस खसरे से संबधित है, जिसका कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 9 बिस्वानी है। उक्त आराजी छोटे–छोटे टुकडो में बंटी हुई है। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त आराजी पर काश्त किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को बिना ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा नंबर 2876, 2878, 2880, 2881, 2885, 2888, 2891, 2895, 2900, 2903 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा 9 बिस्वानी के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा नंबर 2876, 2878, 2880, 2881, 2885, 2888, 2891, 2895, 2900, 2903 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा 9 बिस्वानी के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दस खसरे से संबधित है, जिसका कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 9 बिस्वानी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी को बंटवाडा छोटे–छोटे टुकडो में करने से उक्त आराजी कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही ली जा सकती है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के नियम 20 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि "जहां तक संभव है, विघमान खेतों के टुकडे नहीं किये जायेगे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय के राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी रोहट रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली